

सामान्य सूची पत्र
(Common Prospectus)

इण्टरमीडिएट कक्षा में
विद्यार्थियों के ऑनलाईन
नामांकन की
सरल व्यवस्था
सत्र – 2025–2027

**Online Facilitation System
for Students (OFSS)**

अनुक्रम

1. Online Facilitation System for Students (OFSS)	5
1.1 OFSS क्या है ?	5
1.2 ऑनलाईन नामांकन के लिए आवेदन कौन कर सकता है ?	5
2. विद्यार्थी OFSS के तहत कहाँ से आवेदन कर सकते हैं ?	5
3. OFSS का उपयोग करके ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है ?	6-11
4. OFSS पद्धति के तहत नामांकन के लिये चयन सूची किस प्रकार जारी की जायेगी ?	11
4.1 चयन की प्रक्रिया क्या होगी ?	11
4.2 नामांकन के लिये चुने जाने पर आवेदक को सूचना देने की प्रक्रिया।	11-12
5. चयन सूची में आवेदक का नाम आने के बाद नामांकन कैसे कराये ?	11
6. उच्च प्राथमिकता वाले इन्टरस्तरीय शिक्षण संस्थान में नामांकन कैसे कराये ? (स्लाइड अप विकल्प)	12
7. OFSS के माध्यम से सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) को ऑनलाईन भरने की प्रक्रिया के 9 चरण	14-20
8. आरक्षण एवं कोटा	21
9. महत्वपूर्ण टिप्पणी	21
10. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Ask Questions)	21-25

Online Facilitaiton System for Students (OFSS)

बिहार राज्य के सभी मान्यता प्राप्त सरकारी/गैर सरकारी इन्टरस्तरीय शिक्षण संस्थानों में OFSS के माध्यम से सत्र 2025-27 के लिए 11वीं कक्षा में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एवं अन्य केन्द्रीय/राज्य बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं एवं समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के ऑनलाईन नामांकन की सुविधा दी जा रही है। विद्यार्थियों द्वारा 24.04.2025 से 03.05.2025 तक ऑनलाईन आवेदन किया जाना है। समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से आवेदन दिये जाने की प्रक्रिया से विद्यार्थियों को अवगत कराया जा रहा है, ताकि ऑनलाईन आवेदन देने के क्रम में उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

पूर्व में माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को नामांकन के लिए इन्टरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले विभिन्न शिक्षण संस्थानों में अलग-अलग Prospectus एवं आवेदन प्रपत्र का क्रय कर अलग-अलग संस्थानों के लिए अलग-अलग आवेदन जमा करना पड़ता था, जिसके कारण विद्यार्थियों को शारीरिक, मानसिक एवं अर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था। साथ ही नामांकन प्रक्रिया में एकरूपता नहीं होने के कारण गरीब एवं मेधावी विद्यार्थियों को उनकी इच्छानुसार अच्छे शिक्षण संस्थानों में नामांकन होने में कठिनाई होती थी। इतना ही नहीं, किसी अन्य शहर में नामांकन के लिए उन्हें यात्रा भी करनी पड़ती थी और उस शहर में रहने के लिए अतिरिक्त खर्च भी उठाना पड़ता था। विद्यार्थियों को न तो इस बात की सूचना मिलती थी कि इन्टरस्तरीय शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए कितनी सीटें हैं और न ही संस्थानों के Infrastructure की जानकारी उन्हें मिलती थी। साथ ही इन्टरस्तरीय शिक्षण संस्थानों को भी फार्म छापने, भरने से लेकर आवेदनों की प्रोसेसिंग करने इत्यादि में काफी समय एवं मैन पावर की आवश्यकता होती थी। उल्लेखनीय है कि OFSS व्यवस्था के लागू होने से विद्यार्थियों को नामांकन कराने के लिए किसी संस्थान में व्यक्तिगत रूप से नहीं जाना होगा और न ही उन्हें हर संस्थान के लिए अलग से फॉर्म एवं पैसा जमा करना होगा। इस व्यवस्था के पूर्व नामांकन की प्रक्रिया में भी काफी समय लगता था क्योंकि प्रत्येक संस्थान द्वारा मैन्युअल रूप से आवेदन की प्रोसेसिंग की जाती थी।

नामांकन की इस ऑनलाईन व्यवस्था के तहत इन्टरमीडिएट कक्षा में नामांकन कराने वाले किसी केन्द्रीय बोर्ड/राज्य बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी अपने निकट के इंटरनेट कैफे अथवा घर पर बैठे इंटरनेट से जुड़े कम्प्यूटर/लैपटॉप के माध्यम से आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। ऑनलाईन नामांकन के लिए इच्छुक विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन करते समय, न्यूनतम 10 एवं अधिकतम 20 शिक्षण संस्थानों में चयन हेतु Option दे सकते हैं।

ऑनलाईन नामांकन हेतु रजिस्ट्रेशन से पूर्व इन्टरस्तरीय शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु उपलब्ध सीट की संख्या तथा नामांकन से संबंधित अन्य विवरणी समिति की वेबसाइट पर जारी की जायेगी।

ऑनलाईन नामांकन हेतु रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 24.04.2025 से प्रारंभ की जायेगी। OFSS Software के माध्यम से ऑनलाईन नामांकन करने के लिए समिति की वेबसाइट पर <https://ofssbihar.net> पर लिंक उपलब्ध रहेगा। आवेदन करने के लिए विद्यार्थियों को कुल ₹0 350/- (साढ़े तीन सौ) की राशि जमा करनी होगी, जिसमें ₹0 150/- (डेढ़ सौ) आवेदन शुल्क एवं ₹0 200/- (दो सौ) शिक्षण संस्थान शुल्क निहित है। विदित हो कि विद्यार्थी शुल्क का भुगतान विभिन्न माध्यम यथा- नगद राशि (ई-चालान के माध्यम से) अथवा निर्धारित बैंक के नेट बैंकिंग अथवा डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं।

विद्यार्थियों को ऑनलाईन आवेदन करते समय अपना मोबाईल नंबर तथा ई-मेल आईडी अनिवार्य रूप से देना होगा। विद्यार्थी अपना आधार नंबर भी दर्ज करेंगे।

ऑनलाईन आवेदन करने के बाद विद्यार्थियों द्वारा दिये गये मोबाईल नंबर पर One Time Password (OTP) भेजा जायेगा। साथ ही, विद्यार्थियों को आवेदन करने के बाद मोबाईल तथा ई-मेल के माध्यम से हर चरण (Step) की सूचना दी जायेगी, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। अपने Mobile App के माध्यम से भी विद्यार्थी नामांकन के सभी चरण (Step) से अवगत हो सकेंगे।

ऑनलाईन आवेदन के उपरांत विद्यार्थियों द्वारा दिये गये विकल्प एवं उनके मेरिट के आधार पर समिति संस्थानवार एवं कोटिवार प्रथम Combined Merit List जारी करेगी, जिसके आधार पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जायेगी। विद्यार्थी को किस संस्थान में कब और किस तिथि को नामांकन के लिए जाना है, इसकी भी जानकारी मोबाईल तथा ई-मेल के माध्यम से दी जायेगी। यदि इसके बाद भी संस्थानों में स्थान रिक्त रहता है तो समिति द्वारा दूसरी Combined Merit List जारी की जायेगी, जिसके आधार पर संस्थान शेष बचे सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। इसके बाद भी यदि किसी संस्थान में सीट अर्थात् स्थान खाली रह जाता है, तो समिति द्वारा तीसरा व अंतिम Combined Merit List जारी किया जायेगा; ताकि संस्थान शेष सीटों पर अपने यहाँ नामांकन की प्रक्रिया कर सकें। इसके बावजूद भी यदि किसी संस्थान में सीट खाली रह जाता है, तो ऐसे संस्थान स्वयं विद्यार्थियों का नामांकन वहाँ कर सकते हैं, परन्तु उसके लिए उन्हें संबंधित विद्यार्थियों का इस OFSS पोर्टल पर ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करना होगा।

उल्लेखनीय है कि ऑनलाईन आवेदन करते समय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मैट्रिक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को मात्र अपना यूनिक आईडी0 (यदि उपलब्ध हो), रोल कोड एवं रोल नंबर, जन्म तिथि एवं जिस वर्ष उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की है भरना होगा, क्योंकि उनका डाटा पहले से ही समिति द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के डाटाबेस में उपलब्ध रहेगा। अन्य बोर्ड द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को ऑनलाईन नामांकन हेतु आवेदन करते समय पूरी विवरणी भरनी होगी।

OFSS के अंतर्गत ऑनलाईन नामांकन की इस नई व्यवस्था की निगरानी के लिए पटना स्थित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मुख्यालय में हेल्प-डेस्क बनाया गया है। हेल्प-डेस्क का सम्पर्क दूरभाष नम्बर 0612-2230009 है।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, अकादमिक भवन में Project Management Unit (PMU) की स्थापना की गयी है जिसमें Project Manager, Developer, Database Administrator, रहेंगे एवं वे पूरे कार्यक्रम की राज्य स्तर पर Monitoring करेंगे।

ऑनलाईन नामांकन के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा एक Mobile App भी तैयार किया गया है, जो कि Google Play Store पर OFSS Bihar Info नाम से उपलब्ध है। इस App को इस्तेमाल केवल Android Smart Phone पर ही किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से आवेदक अपने दिये गये आवेदन से सम्बन्धित सूचनाओं एवं जानकारीयों को प्राप्त कर सकते हैं। इस एप का इस्तेमाल आवेदन भरने के लिए नहीं किया जा सकता है। इसके द्वारा आवेदक सम्बन्धित संस्थानों में उपलब्ध सीट की संख्या, नामांकन हेतु आवंटित संस्थान तथा विवरणी के सम्बन्ध में सूचना/अपडेट भी प्राप्त कर सकेंगे।

इस नई व्यवस्था से राज्य के सभी इन्टर स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी सरकारी/गैर सरकारी इन्टरस्तरीय शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों का नामांकन सुविधाजनक ढंग से हो सकेगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा Online Facilitation System for Students (OFSS) के अंतर्गत ऑनलाईन नामांकन की इस नई व्यवस्था से नामांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता होगी तथा गरीब एवं मेधावी विद्यार्थियों को उनकी मेधानुसार अच्छे शिक्षण संस्थानों में नामांकन होने में किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।

ह0/—
(आनंद किशोर)
अध्यक्ष

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति।

1. Online Facilitaiton System for Students (OFSS)

इन्टरमीडिएट कक्षा में विद्यार्थियों के ऑनलाईन नामांकन की सरल व्यवस्था :

1.1 OFSS क्या है ?

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अन्तर्गत आने वाले इन्टरस्तरीय शिक्षण संस्थानों में ऑनलाईन व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों का इन्टरमीडिएट कक्षा में नामांकन किया जाता है। इस ऑनलाईन व्यवस्था को Online Facilitaiton System for Students (OFSS) कहा जाता है। ऑनलाईन नामांकन की इस सरल व्यवस्था का विकास बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा किया गया है। इस व्यवस्था से विद्यार्थी सम्बन्धित इन्टरस्तरीय शिक्षण संस्थानों में नामांकन करा सकेंगे।

सत्र 2025–2027 के लिये इन्टरमीडिएट कक्षा में नामांकन के लिए विद्यार्थी Online Facilitaiton System for Students (OFSS) का उपयोग करेंगे। कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में इन्टरमीडिएट के विषयों में उसी इन्टरस्तरीय शिक्षण संस्थानों में नामांकन होगा जहाँ इसकी सुविधा उपलब्ध हो।

1.2 ऑनलाईन नामांकन के लिए आवेदन कौन कर सकता है?

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE), इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ़ सेकेण्डरी एजुकेशन (ICSE) और किसी भी अन्य राज्य के बोर्ड के विद्यार्थी नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने इन संस्थानों से 10वीं अथवा समकक्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की है।

1.3 ध्यान देने योग्य बातें।

एक मोबाइल नम्बर एवं एक ईमेल आईडी का इस्तेमाल मात्र एक आवेदन भरने के लिए ही किया जाएगा।

1.4 सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे नामांकन प्रपत्र भरने के पूर्व OFSS के माध्यम से राज्य के विभिन्न इन्टरस्तरीय शिक्षण संस्थानों में पिछले वर्ष (2024) में लिये गये नामांकन (Admission) हेतु जारी की गयी सूची का Cut off Marks बेवसाईट (<https://ofssbihar.net>) पर पहले अवश्य देख लें। फिर यह तय करें कि वे अपना नामांकन किस इन्टरस्तरीय शिक्षण संस्थानों में प्राथमिकता के अनुसार लेना चाहते हैं।

1.5 सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे नामांकन हेतु विभिन्न विद्यालयों का विकल्प सावधानीपूर्वक चुने, क्योंकि OFSS के माध्यम से फार्म भरते समय एक बार विकल्प चुनने के पश्चात् वही सारे विकल्प (Option) अंतिम विकल्प माने जायेंगे तथा नामांकन प्रक्रिया के दौरान उन्हें बदला नहीं जा सकेगा। प्रथम/द्वितीय मेरिट लिस्ट के अनुसार विद्यार्थी अपने नामांकन करा लेने के पश्चात् वेबसाईट (<https://ofssbihar.net>) पर जाकर **Student Login Option** में **Login** करने के पश्चात् स्लाइड अप (Slide Up) का विकल्प चुन सकते हैं। अगर उनके द्वारा चुने गये विकल्प में से उच्चतर विकल्प के संस्थान में उनका चयन द्वितीय/तृतीय सूची में होता है तो प्रथम/द्वितीय चयन सूची का नामांकन स्वतः रद्द हो जायेगा।

2. विद्यार्थी Online Facilitaiton System for Students (OFSS) के तहत कहाँ से आवेदन कर सकते हैं?

निम्न स्थानों एवं माध्यम से ऑनलाईन नामांकन हेतु Online Facilitaiton System for Students (OFSS) के तहत आवेदन किया जा सकता है।

1. अपने घर के व्यक्तिगत कम्प्यूटर से जिसमें इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो,
2. इंटरनेट साइबर कैफ़े के माध्यम से।
3. जिला निबंधन सह परामर्श केन्द्र (District Registration cum Counselling Centre) के माध्यम से।

3. Online Facilitaiton System for Students (OFSS) का उपयोग करके ऑनलाईन नामांकन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?

ऑनलाईन नामांकन के लिए निम्नलिखित विभिन्न माध्यम के द्वारा विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, इसकी विस्तृत प्रक्रिया निम्नवत् है :-

क. अपने घर से अथवा किसी अन्य स्थान के कम्प्यूटर के माध्यम से जिसमें इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो, ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रक्रिया—

अपने घर से इंटरनेट युक्त कम्प्यूटर के माध्यम से OFSS व्यवस्था के तहत ऑनलाईन आवेदन भरने के विभिन्न चरण निम्नवत् हैं:

आवेदन भरने के पहले निम्नलिखित जानकारी अपने पास रखें:-

- यदि विद्यार्थी ने दसवीं की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से उत्तीर्ण की है तो अपना रोल कोड, रोल नं० तथा जन्म तिथि तैयार रखें।
- यदि विद्यार्थी ने दसवीं की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के समकक्ष किसी अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण की है तो अपना कुल अंक एवं प्राप्तांक तैयार रखें।
- विद्यार्थी अपना पासपोर्ट साइज फोटो का स्कैन कॉपी कम्प्यूटर में तैयार रखें ताकि सामान्य आवेदन प्रपत्र भरते समय जब जरूरत हो तो अपलोड किया जा सके।
- मोबाईल नम्बर
- ई-मेल
- i. आवेदक किसी भी ब्राउजर के माध्यम से **<https://ofssbihar.net>** पर जायें।
- ii. सामान्य आवेदन प्रपत्र (**Common Application Form**) पर क्लिक करें।
- iii. दिये गये दिशा-निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- iv. **Check Box** और उसके उपरांत **I Accept** पर क्लिक करने के बाद नियम एवं शर्तों को स्वीकार करें।
- v. इसके बाद सामान्य आवेदन प्रपत्र (**Common Application Form**) आपके कम्प्यूटर पर खुल जायेगा।
- vi. अगर आवेदक ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उन्हें समिति द्वारा निर्गत यूनिक आई०डी०, दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष, रोल कोड, रोल नम्बर एवं जन्म तिथि सुरक्षित रखना होगा। यदि यूनिक आई०डी० से ऑनलाईन डेटा प्रदर्शित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष, रोल कोड, रोल नम्बर एवं जन्म तिथि अंकित करना होगा। इस प्रकार ऑनलाईन इंट्री करने पर आवेदक को उनके सामान्य आवेदन प्रपत्र (**Common Application Form**) में अंक एवं अन्य सभी विवरणी इत्यादि कम्प्यूटर स्क्रीन पर स्वतः दिखायी देगा।
- vii. अगर विद्यार्थी किसी अन्य बोर्ड से दसवीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है तो यह आवश्यक है कि सामान्य आवेदन प्रपत्र में जो जानकारी मांगी गयी है उसे वे भरें।
- viii. सभी जानकारियों को एक बार भर लेने के बाद आवेदक को अपना फोटो सामान्य आवेदन प्रपत्र (**Common Application Form**) में अपलोड करना है। फोटो अपलोड करना आवश्यक है।
- ix. आवेदक को नामांकन के लिये इण्टरस्तरीय शिक्षण संस्थान का विकल्प चुनना है। आवेदक न्यूनतम 10 विकल्प और अधिकतम 20 विकल्प चुन सकता है। 1 विद्यालय अथवा महाविद्यालय में 1 विषय 1 विकल्प माना जायेगा।
- x. नामांकन के विकल्प भरने के लिए विद्यार्थी निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायें:-
 - **Drop Down** लिस्ट से जिला चुनें।

- जिला चुनने के बाद इण्टरस्तरीय शिक्षण संस्थान चुनें।
 - इण्टरस्तरीय शिक्षण संस्थान चुनने के बाद संकाय चुनें। जैसे—कला, विज्ञान एवं वाणिज्य।
 - **Submit** बटन पर क्लिक करें।
 - **Submit** बटन पर क्लिक करने के बाद आपका विकल्प दर्ज हो जायेगा।
 - इस प्रकार से आप सामान्य आवेदन प्रपत्र में न्यूनतम 10 विकल्प एवं अधिकतम 20 विकल्प चुन सकते हैं।
- xii. विद्यार्थी उच्च प्राथमिकता वाले विकल्प पहले भरें। उदाहरण के तौर पर यदि इण्टरमीडिएट में नामांकन के लिए आपकी पहली प्राथमिकता विज्ञान संकाय में राजकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय शास्त्रीनगर, पटना में है, और दूसरी प्राथमिकता या विकल्प विज्ञान संकाय में पटना कॉलेजिएट स्कूल, पटना में है, तो आप राजकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय शास्त्रीनगर, पटना में पहली प्राथमिकता का विकल्प भरें और उसके उपरांत पटना कॉलेजिएट स्कूल, पटना का विकल्प भरें। इसी प्रकार, इण्टरमीडिएट में नामांकन के लिए अगर आपकी पहली प्राथमिकता एस०जी०डी० पाटलीपुत्रा उच्च विद्यालय, पटना है, और दूसरी प्राथमिकता एस०आर०पी० +2 स्कूल गर्दनीबाग पटना है, तो आप एस०जी०डी० पाटलीपुत्रा उच्च विद्यालय, पटना में पहली प्राथमिकता का विकल्प भरें और उसके उपरान्त दूसरी प्राथमिकता में एस०आर०पी० +2 स्कूल गर्दनीबाग पटना का विकल्प भरें।
- xiii. एक बार जब आपने सामान्य आवेदन प्रपत्र (**Common Application Form**) भर दिया है तो कृपया एक बार फिर उसे ध्यानपूर्वक पढ़ लें ताकि अगर कोई गलती आप से हुई है तो उसका पता आपको चल जाये। आवेदन में दिया गया पूरा विवरण अगर आपको सही लगता है तो **Submit** बटन को क्लिक करें।
- xiv. इसके उपरान्त कम्प्यूटर स्क्रीन पर भरे हुये आवेदन का **Preview** दिखायी देगा।
- xv. कृपया इसके उपरान्त भरे हुए आवेदन की आप दोबारा जांच कर लें। अगर आवेदन प्रपत्र में सभी जानकारी आप सही पाते हैं तो **Confirm** बटन को क्लिक करें। अगर भरी हुई जानकारी को आप सही नहीं पाते हैं तो आप **Modify** बटन को क्लिक करें।
- xvi. **Modify** बटन को क्लिक करने पर सामान्य आवेदन प्रपत्र (**Common Application Form**) आपको पुनः दिखाई देगा। इसे देखकर आप उसमें भरी हुई उन जानकारी को शुद्ध कर सकते हैं जिसे आप सुधारना चाहते हैं। इसके बाद आप **Confirm** बटन को क्लिक करें।
- xvii. **Confirm** बटन को क्लिक करने के बाद आपके निबन्धित मोबाइल नम्बर पर यह व्यवस्था या पद्धति आपको एक **One Time Password (OTP)** भेजेगी।
- xviii. **System** में **One Time Password (OTP)** को डालें और इसके उपरांत आपका मोबाइल नम्बर सुनिश्चित हो जायेगा।
- xix. एक बार मोबाइल नम्बर सुनिश्चित हो जाने के बाद आपको ₹0 350/- का भुगतान करने का निर्देश मिलेगा। यह ₹0 350/- का भुगतान आवेदन शुल्क होगा। यह भुगतान आप ऑनलाइन माध्यम (**Debit Card, Credit Card एवं Net Banking**) से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यह भुगतान ई-चालान के माध्यम से भी कर सकते हैं। ई-चालान के माध्यम से अगर आप भुगतान करना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक होगा कि चालान की मुद्रित प्रति लेकर आप इसे अपने नजदीकी निर्धारित **HDFC Bank Ltd.** एवं **Indian Bank** के शाखा में जमा करें।
- xix. सफलतापूर्वक भुगतान सुनिश्चित हो जाने के बाद यह व्यवस्था आपके द्वारा भरे गये ऑनलाईन आवेदन से संबंधित एक प्राप्ति प्रति (**Acknowledgment Copy**) जारी करेगी। आपको सलाह दी जाती है कि यह मुद्रित प्राप्ति प्रति (**Acknowledgment Copy**) आप निकाल कर रख लें ताकि भविष्य में यह आपके काम आ सके।

- xx. सफलतापूर्वक आवेदन प्रपत्र भरे जाने के पश्चात आपको आपके निबंधित मोबाइल एवं ई-मेल पर यूजर आईडी0 और पासवर्ड मिलेगा।
- xxi. कृपया ध्यान दें: रू0 350/- के आवेदन शुल्क जमा नहीं होने पर आपका आवेदन प्रपत्र अस्वीकृत समझा जायेगा। अतः यह आवश्यक है कि आवेदन शुल्क निश्चित रूप से जमा किया जाय ताकि आपका आवेदन स्वीकृत समझा जा सके।

ख. इंटरनेट साइबर कैफे के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया

विद्यार्थी किसी भी साइबर कैफे में जाकर स्वयं ऑनलाइन आवेदन **OFSS** व्यवस्था के तहत भर सकते हैं। यदि आवेदक साइबर कैफे के ऑपरेटर द्वारा ऑनलाइन फार्म भरवाना चाह रहे हैं तो फार्म 7 या फार्म 8 वेबसाइट (<https://ofssbihar.net>) से डाउनलोड कर और उसे भरकर ऑपरेटर को दें, ताकि वे सारी जानकारी ऑनलाइन आवेदन फार्म में भर कर सारी प्रक्रिया पूरी कर सकें। यदि आवेदक स्वयं ऑनलाइन आवेदन भरना चाहते हैं तो उन्हें नीचे लिखे क्रम के अनुसार ऑनलाइन आवेदन देना है :

साइबर कैफे के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों से आवेदक को गुजरना है:-

- विद्यार्थी आवेदन भरने के लिए नीचे लिखे सूचनाओं को पहले से ही तैयार रखें। अगर विद्यार्थी ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो वे अपना रोल कोड, रोल नम्बर और जन्म तिथि तैयार रखें।
- अगर विद्यार्थी ने बिहार बोर्ड के अलावा दसवीं अथवा उसके समकक्ष परीक्षा किसी अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण की है तो उन्हें अंक विवरणी को पहले से तैयार कर अपने पास रखना चाहिये। विद्यार्थी को यह भी सलाह दी जाती है कि वे स्कैन किया हुआ पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ भी कम्प्यूटर में तैयार रखें, ताकि सामान्य आवेदन प्रपत्र (**Common Application Form**) में उसे अपलोड किया जा सके।
- मोबाइल नम्बर
- ई-मेल
 - i. आवेदक किसी भी वेब ब्राउजर पर <https://ofssbihar.net> को इंटरनेट के माध्यम से खोलेंगे।
 - ii. सामान्य आवेदन प्रपत्र (**Common Application Form**) पर क्लिक करेंगे।
 - iii. इस पेज पर दिखाये गये सभी अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
 - iv. **Check Box** और उसके उपरांत **I Accept** क्लिक करने के बाद नियम एवं शर्तों को स्वीकार करें।
 - v. इसके बाद कम्प्यूटर स्क्रीन पर सामान्य आवेदन प्रपत्र (**Common Application Form**) खुल जायेगा।
- vi. अगर आवेदक ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उन्हें समिति द्वारा निर्गत यूनिक आई0डी0, दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष, रोल कोड, रोल नम्बर एवं जन्म तिथि सुरक्षित रखना होगा। यदि यूनिक आई0डी0 से ऑनलाइन डेटा प्रदर्शित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष, रोल कोड, रोल नम्बर एवं जन्म तिथि अंकित करना होगा। इस प्रकार ऑनलाइन इंट्री करने पर आवेदक को उनके सामान्य आवेदन प्रपत्र (**Common Application Form**) में अंक एवं अन्य सभी विवरणी इत्यादि कम्प्यूटर स्क्रीन पर स्वतः दिखायी देगा।
- vii. अगर आवेदक ने किसी अन्य बोर्ड से दसवीं या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है तो यह आवश्यक है कि सामान्य आवेदन प्रपत्र (**Common Application Form**) में जो जानकारी मांगी गयी है उसे वे भरें।

- viii. सभी जानकारीयों को एक बार भर लेने के बाद आवेदक को अपना फोटो सामान्य आवेदन प्रपत्र (**Common Application Form**) में अपलोड करना है। फोटो को अपलोड करना आवश्यक है।
- ix. सभी जानकारीयों को भर लेने के बाद आवेदक को नामांकन के लिए विकल्प चुनना है। आवेदक न्यूनतम 10 विकल्प और अधिकतम 20 विकल्प चुन सकता है। 1 शिक्षण संस्थान में 1 विषय 1 विकल्प माना जायेगा।
- x. ऑनलाइन नामांकन के लिए विकल्प भरने के लिए नीचे दिये गये बिन्दु को ध्यान से पढ़ें—
- **Drop Down** लिस्ट से जिला चुनें।
 - जिला को चुनने के बाद शिक्षण संस्थान चुनें।
 - शिक्षण संस्थान को चुनने के बाद, संकाय चुने जैसे— कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं कृषि।
 - **Submit** बटन को क्लिक करें।
 - **Submit** बटन पर क्लिक करते ही आपका विकल्प **Submit** हो जायेगा
 - इस तरह से आप सामान्य आवेदन प्रपत्र (**Common Application Form**) में न्यूनतम 10 विकल्प एवं अधिकतम 20 विकल्प चुन सकते हैं।
- xi. उच्च प्राथमिकता वाले विकल्प पहले भरें। मान लिया जाय कि इण्टरमीडिएट में नामांकन के लिए आपकी पहली प्राथमिकता या विकल्प विज्ञान संकाय में राजकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय शास्त्रीनगर, पटना में है, और दूसरी प्राथमिकता या विकल्प विज्ञान संकाय में पटना कॉलेजिएट स्कूल, पटना में है, तो आप राजकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय शास्त्रीनगर, पटना में पहली प्राथमिकता का विकल्प भरें और उसके उपरांत पटना कॉलेजिएट स्कूल, पटना का विकल्प भरें। इसी प्रकार इण्टरमीडिएट में नामांकन के लिए अगर आपकी पहली प्राथमिकता एस०जी०डी० पाटलीपुत्रा उच्च विद्यालय, पटना है और दूसरी प्राथमिकता एस०आर०पी० +2 स्कूल गर्दनीबाग पटना है, तो आप एस०जी०डी० पाटलीपुत्रा उच्च विद्यालय, पटना में पहली प्राथमिकता का विकल्प भरें और उसके उपरान्त दूसरी प्राथमिकता में एस०आर०पी० +2 स्कूल गर्दनीबाग पटना का विकल्प भरें।
- xii. एक बार जब आपने सामान्य आवेदन प्रपत्र (**Common Application Form**) भर दिया हो तो कृपया एक बार फिर उसे ध्यानपूर्वक पढ़ लें ताकि अगर कोई गलती आप से हुई है तो उसका पता चल जाये। आवेदन में दिया गया पूरा विवरण अगर आपको सही लगता है तो **Submit** बटन को क्लिक करें।
- xiii. इसके उपरान्त कम्प्यूटर स्क्रीन पर भरे हुये आवेदन का **Preview** दिखायी देगा।
- xiv. इसके उपरान्त भरे हुए आवेदन की आप दोबारा जांच कर लें। अगर आवेदन प्रपत्र में सभी विवरणी आप सही पाते हैं तो **Confirm** बटन को क्लिक करें। अगर भरी हुई विवरणियों को आप सही नहीं पाते हैं तो आप **Modify** बटन को क्लिक करें।
- xv. **Modify** बटन को क्लिक करने पर सामान्य आवेदन प्रपत्र (**Common Application Form**) आपको पुनः दिखाई देगा। इसे देखकर आप उसमें भरी हुई उन जानकारीयों को शुद्ध कर सकते हैं जिसे आप सुधारना चाहते हैं। इसके बाद आप **Confirm** बटन को क्लिक करें।
- xvi. **Confirm** बटन को क्लिक करने के बाद आपके निबन्धित मोबाइल नम्बर पर यह व्यवस्था एक **One Time Password (OTP)** भेजेगी।
- xvii. **System** में **One Time Password (OTP)** अंकित करें और इसके उपरांत आपका मोबाइल नम्बर सुनिश्चित हो जायेगा।
- xviii. एक बार मोबाइल नम्बर सुनिश्चित हो जाने के बाद आपको रू0 350/— का भुगतान करने का निदेश मिलेगा। यह रू0 350/— का भुगतान आवेदन शुल्क होगा। यह भुगतान आप ऑनलाइन माध्यम (**Debit Card, Credit Card एवं Net Banking**) से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यह भुगतान ई—चालान के माध्यम से भी कर सकते हैं। ई—चालान

के माध्यम से अगर आप भुगतान करना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक होगा कि चालान की मुद्रित प्रति लेकर आप इसे अपने नजदीकी निर्धारित HDFC Bank Ltd. एवं Indian Bank के शाखा में जमा करें।

- xix. सफलतापूर्वक भुगतान सुनिश्चित हो जाने के बाद यह व्यवस्था आपके द्वारा भरे गये आवेदन से संबंधित एक प्राप्ति प्रति (**Acknowledgment Copy**) जारी करेगी। आपको सलाह दी जाती है कि यह मुद्रित प्राप्ति प्रति (**Acknowledgment Copy**) आप निकाल कर रख लें ताकि भविष्य में यह आपके काम आ सके।
- xx. सफलतापूर्वक आवेदन प्रपत्र भरे जाने के पश्चात् आपको आपके निबंधित मोबाइल एवं ई-मेल पर यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा।

नोट:—कृपया ध्यान दें: ₹0 350/- के आवेदन शुल्क जमा नहीं होने पर आपका आवेदन प्रपत्र अस्वीकृत समझा जायेगा। अतः यह आवश्यक है कि आवेदन शुल्क निश्चित रूप से जमा किया जाय ताकि आपका आवेदन स्वीकृत किया जा सके।

ग. जिला निबंधन सह परामर्श केन्द्र (District Registration cum Counselling Centre) जिसे संक्षेप में DRCC कहा जाता है, के द्वारा आवेदन भरने की प्रक्रिया—

विद्यार्थी जिला निबंधन सह परामर्श केन्द्र (DRCC) के माध्यम से Online Facilitation System for Students (OFSS) व्यवस्था के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के विभिन्न चरण निम्नवत हैं :—

अगर विद्यार्थी जिला निबंधन सह परामर्श केन्द्र (DRCC) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरना चाहते हैं तो उन्हें निर्धारित DRCC केंद्र पर जाना होगा। आवेदक अथवा DRCC के ऑपरेटर वेबसाइट (<https://ofssbihar.net>) पर जाकर आवश्यकतानुसार फार्म संख्या 7 अथवा फार्म संख्या 8 डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। विद्यार्थी ने जिस बोर्ड से दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण की है, उसके अनुसार DRCC के ऑपरेटर से मुद्रित फार्म लेंगे :—

फार्म संख्या	विवरण
फार्म संख्या 7	अगर विद्यार्थी ने दसवीं की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से उत्तीर्ण की है।
फार्म संख्या 8	अगर विद्यार्थी ने दसवीं या समकक्ष परीक्षा सी०बी०एस०ई०, आई०सी०एस०ई० या किसी अन्य केन्द्र अथवा राज्य के बोर्ड से उत्तीर्ण की है।

- फॉर्म संख्या 7 या फार्म संख्या 8 को ऑफलाईन मोड में भरें।
- विद्यार्थी सभी विस्तृत जानकारी फार्म में भरने के बाद फार्म के नीचे हस्ताक्षर करें।
- विद्यार्थी सभी जानकारी अंग्रेजी के **CAPITAL** अक्षर में भरें।
- फॉर्म भरने के पश्चात विद्यार्थी फॉर्म के अनुलग्नक में शिक्षण संस्थान का विकल्प भरेंगे।
- फॉर्म पूरी तरह भरने के बाद आवेदक फॉर्म को DRCC के ऑपरेटर को अपने एक रंगीन पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ देंगे।
- DRCC के ऑपरेटर उस फार्म में भरी गयी जानकारी को ऑनलाइन आवेदन फार्म में भर देंगे।
- ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद DRCC के ऑपरेटर ऑनलाइन आवेदन का **Preview** कम्प्यूटर स्क्रीन पर आवेदक को दिखा देंगे।
- विद्यार्थी पूरी जानकारी को भली-भाँति जाँच लेंगे कि सभी जानकारी सही भरी गयी है।
- मोबाइल नम्बर दर्ज होने के बाद विद्यार्थी को ई-चालान की एक प्रति मिलेगी।

- x. विद्यार्थी अपने पास के HDFC Bank Ltd. एवं Indian Bank के शाखा में जाकर आवेदन शुल्क ई-चालान के माध्यम से जमा करेंगे। बैंक में आवेदन शुल्क जमा करने के 48 घंटे के बाद भुगतान की सूचना OFSS वेबसाइट पर अपडेट हो जायेगी।
- xi. भुगतान की सूचना अपडेट होने के बाद विद्यार्थी को **User ID** और **Password** उनके द्वारा निबंधित मोबाइल और ई-मेल पर प्राप्त होगी।
- xii. कृपया ध्यान दें: आवेदन शुल्क **रु0 350/-** जमा किये बिना आवेदन स्वीकृत नहीं माना जायेगा। यह अनिवार्य है कि आवेदन के साथ आवेदन शुल्क भी जमा किया जाय।

4. Online Facilitaiton System for Students (OFSS) के तहत नामांकन के लिए चयन सूची किस प्रकार जारी की जायेगी?

ऑनलाईन आवेदन में आवेदक द्वारा दिये गये विकल्पों के आधार पर Online Facilitaiton System for Students (OFSS) नामांकन सूची जारी करेगा।

4.1 चयन की प्रक्रिया क्या होगी?

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन देने के बाद Online Facilitaiton System for Students (OFSS) सॉफ्टवेयर सभी आवेदनों को प्रक्रिया में लाकर चयन सूची को अंतिम रूप देगा। यह चयन सूची सभी इन्टरस्तरीय शिक्षण संस्थानों के लिए आवेदक के मेरिट एवं उनके द्वारा चयनित विकल्प के प्राथमिकता के आधार पर होगा। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयन सूची प्रकाशित की जायेगी। वेबसाइट पर चयन सूची उपलब्ध रहेगी और साथ ही साथ आवेदक को उनके चुने जाने से सम्बन्धित पत्र (Intimation Letter) उपलब्ध रहेगा। मोबाइल पर जब आवेदक को अपने नामांकन के लिये चुने जाने से सम्बन्धित सूचना मिल जाय तो वेबसाइट पर जाकर वह अपने चुने जाने से सम्बन्धित पत्र को डाउनलोड कर उसका प्रिंट ले सकते हैं और सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों में अपना नामांकन करवा सकता है। मान लिया जाय कि आवेदक ने 11 संस्थानों में नामांकन के लिए विकल्प दिया है और आवेदक के द्वारा दिये गये विकल्पों के आधार पर उसे चुन लिया जाता है तो उसके द्वारा दिये गये निचले विकल्प में उसका नामांकन नहीं हो सकता है। उदाहरण स्वरूप अगर आवेदक ने 11 विकल्प दिये हैं और प्रथम चयन सूची में उसे तीसरी प्राथमिकता के संस्थान में नामांकन के लिए चुना गया है तो वह चौथी से लेकर 11वीं प्राथमिकता वाले विकल्प में नामांकन नहीं ले सकता है।

4.2 नामांकन के लिए चुने जाने पर आवेदक को सूचना देने की प्रक्रिया—

आवेदक अगर चाहे तो किसी संस्थान में अपने नामांकन के लिए चुने जाने से संबंधित पत्र (Intimation Letter) को Online Facilitaiton System for Students (OFSS) के वेबसाइट www.ofssbihar.in से डाउनलोड कर सकता है।

नामांकन के विभिन्न चरणों में चुने गये आवेदक को उनके चुने जाने से संबंधित सूचना विभिन्न माध्यमों से दी जायेगी। ये माध्यम निम्नलिखित हैं :

1. SMS
2. E-mail
3. वेबसाइट <https://ofssbihar.net>
4. उस संस्थान का सूचना पट्ट जिस संस्थान में नामांकन के लिए आवेदक को चुना गया है। डाक के द्वारा कोई भी सूचना नहीं दी जायेगी। आवेदक को सलाह दी जाती है की नियमित रूप से अद्यतन सूचना के लिए वे वेबसाइट <https://ofssbihar.net> को देखते रहें।

5. चयन सूची में नाम आने के बाद आवेदक अपना नामांकन कैसे कराये ?

अगर आवेदक का नाम उसके द्वारा दिये गये प्राथमिकता वाले संस्थान में नामांकन के लिये चयन सूची में आ जाता है तो वह सम्बन्धित संस्थान में नामांकन ले सकता है। सम्बन्धित संस्थान में नामांकन के लिये उसे निम्न बातों का ध्यान रखना है :

- आवेदक को सूचना पत्र (Intimation Letter) में उल्लेख किये गये निर्धारित तिथि और समय पर जाकर सम्बन्धित संस्थान में नामांकन कराना होगा।
- आवेदक को सम्बन्धित संस्थान में जाँच के लिये मूल अभिलेखों को ले जाना होगा। उन्हें निर्धारित नामांकन शुल्क जमा करना होगा। यह शुल्क नगद या बैंक ड्राफ्ट के रूप में हो सकता है, जो संस्थान के काउंटर पर जमा किये जा सकते हैं।
- आवेदक को नामांकन के समय पासपोर्ट साईज के रंगीन फोटो एवं अन्य प्रमाण पत्र जमा करने होंगे।
- आवेदक को सलाह दी जाती है कि वे नामांकन के सम्बन्ध में संस्थान से भी जानकारी प्राप्त करें।
- अगर आवेदक उच्च प्राथमिकता वाले संस्थान में नामांकन कराने का इच्छुक है तो वे द्वितीय एवं तृतीय चयन सूची के जारी होने का इंतजार कर सकते हैं, परन्तु उन्हें उस संस्थान में नामांकन लेना ही होगा जिस संस्थान में नामांकन के लिए उनको चुना गया है।

5.1 नामांकन के लिए जाँच सूची-

- ❖ मूल प्रमाण पत्र
- ❖ नामांकन शुल्क
- ❖ पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो

निम्नलिखित मूल अभिलेख संस्थान द्वारा आवेदक को नहीं लौटाया जायेगा-

- उस विद्यालय का परित्याग प्रमाण पत्र जहाँ से उसने दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण की है।
- उस संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र जहाँ से उसने दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण की है।
- माइग्रेशन प्रमाण पत्र (अगर कोई है) जहाँ से उसने दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण की है।

नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद आवेदक को संस्थान द्वारा निम्नलिखित मूल दस्तावेज वापस किये जाने हैं -

- 10वीं बोर्ड परीक्षा का अंक पत्र और उसी परीक्षा का उत्तीर्णता प्रमाण पत्र।
- 10वीं बोर्ड परीक्षा का मूल प्रमाण पत्र।
- आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र, यदि कोई हो।

उपर्युक्त अभिलेख के अलावा हो सकता है कि सम्बन्धित संस्थान नामांकन के लिए अन्य और अभिलेखों की माँग करें। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि नामांकन हेतु उपर्युक्त अभिलेखों के अलावा संस्थान द्वारा मांग किये गये अभिलेखों की जानकारी के लिये वे संस्थान से सम्पर्क करें।

6. उच्च प्राथमिकता वाले संस्थान में नामांकन कैसे करायें ?

(स्लाइड-अप विकल्प)

संस्थान में नामांकन के लिये अगर चयन सूची जारी हो जाती है और आवेदक नामांकन के लिये चुन लिया जाता है तो चयनित आवेदक को सम्बन्धित संस्थान में नामांकन कराना होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि नामांकन की तिथि और अन्य औपचारिकताओं के लिए उन्हें सम्बन्धित संस्थान से सम्पर्क करना चाहिये और नामांकन की प्रक्रिया से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिये। अगर चयनित आवेदक नामांकन नहीं लेते हैं तो वर्तमान सत्र में उनका नाम OFSS System से हटा दिया जायेगा और वर्तमान सत्र में आगे जो मेरिट लिस्ट जारी की जायेगी उसमें भी उनका नाम नहीं रहेगा।

अतः चयनित आवेदक के लिये आवश्यक है कि जिस संस्थान में नामांकन के लिये उनका नाम आ चुका है, तो वे उस संस्थान में नामांकन अवश्य करा लें। ऐसा होने पर द्वितीय एवं तृतीय मेरिट लिस्ट जारी होने पर वे उस संस्थान में भी नामांकन ले सकेंगे जिसके लिये उन्होंने नामांकन हेतु उच्च प्राथमिकता दी है। अगर कोई आवेदक निचली प्राथमिकता वाले विकल्प के लिये चुना जाता है तो उसे उस संस्थान में नामांकन अवश्य करा लेना चाहिये, ताकि उसके मामले को चयन प्रक्रिया के दौरान स्लाइड-अप का उपयोग किया जा सके और उस पर विचार किया जा सके।

अगर ऐसे आवेदक निचले विकल्प वाले संस्थानमें चुने जाने पर नामांकन नहीं लेते हैं तो स्लाइड-अप के जरिये उनके मामले पर विचार नहीं किया जायेगा।

अगर आवेदक प्रथम चरण में निचली प्राथमिकता वाले संस्थान में चुने जाने पर संतुष्ट नहीं हैं, और वे चाहते हैं कि स्लाइड-अप प्रक्रिया के तहत उन्हें उच्च प्राथमिकता वाले संस्थान में नामांकन के लिये चुना जाय तो उन्हें दूसरे चरण में लॉग-इन कर वेबसाइट पर सुनिश्चित करना होगा, ताकि उनके मामले को आगामी नामांकन प्रक्रिया के दौरान उस पर विचार किया जा सके। यह प्रक्रिया स्लाइड अप विकल्प कही जाती है। ध्यान रखा जाय की स्लाइड अप विकल्प चुनने के लिये यह आवश्यक है की आवेदक को उस संस्थान में नामांकन लेना होगा जिस संस्थान में नामांकन के लिये उसका नाम मेरिट लिस्ट में आया है।

OFSS के माध्यम से ऑनलाइन सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) को ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया के 09 चरणों को पृष्ठ संख्या 14–20 पर देखें।

7. OFSS के माध्यम से ऑनलाईन सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) को ऑनलाईन भरने की प्रक्रिया के 9 चरण –

पहला चरण – किसी भी वेब ब्राउजर के द्वारा <https://ofssbihar.net> वेबसाइट पर जायें और ऑनलाईन [CAF For Intermediate](#) लिंक को क्लिक करें।

दूसरा चरण – चेक बॉक्स को क्लिक कर नियम एवं शर्तों को स्वीकार करें एवं “Click here to fill your application form” बटन को क्लिक करें।

1 OFSS के माध्यम से आवेदन फॉर्म भरने हेतु मुख्य निर्देश

- OFSS (Online Facilitation System for Students) के माध्यम से आप एक आवेदन पत्र के माध्यम से विभिन्न कॉलेज में बीस विकल्प चुन सकते हैं।
- आप ऑनलाईन आवेदन पत्र के माध्यम से बीस विकल्प विभिन्न कॉलेज में आवेदन दे सकते हैं। अपने विकल्पों का चुनाव अपनी वरीयता सूची के अनुसार करें।
- आवेदन में विकल्प भरते समय यह सुनिश्चित करें की जो विकल्प आप सबसे पहले भरेंगे उसी के अनुसार आपकी चयन प्रक्रिया पूरी की जायेगी। विकल्पों को भरते समय यह सुनिश्चित करें की आपकी प्राथमिकता सूची आपके पसंद के अनुरूप है। आपके द्वारा भरी गयी कॉलेजों की प्राथमिकता सूची में जो सबसे पहला सफल विकल्प जिसमें आपका चुनाव होगा, उस कॉलेज की नामांकन सूची में आपका नाम आएगा। इसकी सुचना आपको ईमेल, SMS एवं OFSS वेबसाइट से मिल जायेगी।
- इस आवेदन हेतु आपको आवेदन शुल्क 300 रूपए देने होंगे, जो की निम्न माध्यमों से दिया जा सकता है :
 - Online Payment through Debit Card डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाईन पेमेंट
 - Online Payment through Credit card क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाईन पेमेंट
 - Online Payment through Online Banking ऑनलाईन बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाईन पेमेंट
 - Offline Payment through Bank Challan (बैंक चालान के माध्यम से ऑफलाईन पेमेंट) (बैंक चालान के माध्यम से शुल्क निकटवर्ती इलाहाबाद बैंक अथवा स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया की किसी भी शाखा में जा कर जमा करना होगा)
- आवेदन फॉर्म भरने हेतु मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आई डी होना आवश्यक है ताकि आपके एडमिशन से सम्बंधित सारी सूचनाएं मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आई डी पर भेजी जायेगी।
- मोबाइल नंबर को OTP के माध्यम से सत्यापित किया जायेगा। फॉर्म भरने से पहले यह सुनिश्चित कर लें की यह मोबाइल नंबर सही हो और सेवा में हो।
- आवेदन हेतु आप अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ स्कैन कर के कंप्यूटर में रखें।
- अपने फॉर्म को भरने के बाद **PREVIEW** पेज में देख लें। सभी सूचनाएं भरने के बाद यह सुनिश्चित कर लें की भरी हुई सारी सूचनाएं सही है। सुनिश्चित करने के बाद ही फॉर्म **CONFIRM** करें।
- यह ध्यान रखें की बिना भुगतान किये हुए फॉर्म स्वीकृत नहीं किया जायेगा। अतः यह आवश्यक है की आप ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन अपना भुगतान अवश्य कर लें।

☒ मैंने ऊपर लिखे निर्देशों को अच्छे से समझ लिया है एवं मैं फॉर्म भरने के लिए तैयार हूँ।

आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करें।
Click here to fill your application form

तीसरा चरण – अपने सभी जानकारी एवं प्राप्तांक तथा स्कैन फोटो को अपलोड करें।



Common Application Form
For Admission to Intermediate Courses Session 2025-27
Bihar School Examination Board, Government of Bihar

Intermediate
सात (7) से सिद्धी एवं सभी दस्तावेज भरने अनिवार्य हैं, अन्यथा आवेदन खारिज किया जाएगा।
[[All the Fields marked as red Colour (*) are Mandatory to be filled, otherwise your Online form will not be submitted.]]

1. Name of the Board from which you have passed the 10th exam ? Please fill the Year of Exam and Roll Number as in Admit Card. / आपने किस शिक्षा बोर्ड से दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण की है ? एडमिट कार्ड के अनुरूप परीक्षा वर्ष एवं रोल नंबर भरें।			
Name of the Examination Board * विद्यालय परीक्षा बोर्ड का नाम *		Year of Passing * आपने किस साल परीक्षा उत्तीर्ण की है *	
1 - BSEB, Bihar		-SELECT-	
Date of Birth * / जन्म तिथि *		Roll Code * / रोल कोड *	
DAY MONTH YEAR		Roll Number * / रोल नंबर *	
DAY MONTH YEAR		Roll Number * / रोल नंबर *	
2. Applicant's Name * आवेदक का नाम *		3. Father's Name * आवेदक के पिता का नाम *	
4. Mother's Name * आवेदक की माता का नाम *		Upload your photo * Choose File No file chosen (JPG, JPEG, PNG files only)	
5. Details of Mark/Grade Secured in 10th Board Examination / बोर्ड परीक्षा में प्राप्तांक विवरण नीचे लिखें * यदि आवेदक ने बिहार बोर्ड के अलावा किसी अन्य बोर्ड से दसवीं पास किया है तो यहाँ अपना प्राप्तांक अवश्य भरें। (जिस आवेदक ने दसवीं की परीक्षा बिहार बोर्ड से उत्तीर्ण की है उन विद्यार्थियों को अपने प्राप्तांक भरने की आवश्यकता नहीं है। रोल कोड, रोल नंबर एवं जन्म तिथि भरने के पश्चात स्वतः आपके प्राप्तांक भर जायेंगे। Note: In the Below field you need to Enter CGPA Points, if you select CBSE & Year between 2010 to 2017 as Year of Passing. ध्यान दें: अगर आवेदक ने परीक्षा बोर्ड - CBSE एवं परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष 2010 से 2017 के बीच चुना है तो यहाँ आवेदक को CGPA पॉइंट भरने होंगे।			
a. Total Full Marks कुल अधिकतम अंक - कुल पूर्ण अंक		Total Marks Obtained कुल पूर्ण अंक - कुल प्राप्तांक	
[Input Field]		[Input Field]	
Note: Selection of the students will be done based on the Total Full Marks of the examination and Total Marks obtained or secured in the Qualifying Board Examination. ध्यान दें: छात्रों का चयन सूची में चयन बोर्ड परीक्षा के कुल पूर्ण अंक/कुल अधिकतम अंक एवं बोर्ड परीक्षा में कुल प्राप्तांक के आधार पर होता है।			
6. Record of educational institution last attended from which you have passed 10th Examination / आपने जिस स्कूल से दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है उसकी विवरणी नीचे भरें।			
a. Name of the School * विद्यालय का नाम *		b. Address of the School * विद्यालय का पता *	
c. District * जिस जिले में अथवा विद्यालय है *		d. Year of Joining * आपने किस साल उस विद्यालय में नामांकन लिया था *	
c. District * -SELECT-		d. Year of Joining * YEAR	
e. Year of Leaving from School* आपने किस साल उस विद्यालय छोड़ा *		f. Have you passed 10th exam as a student of Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya* क्या आपने दसवीं की परीक्षा कस्तूरबा गांधी अलक्षणीय बालिका छात्रावास में रहते हुए उत्तीर्ण की है ? *	
e. Year of Leaving from School* YEAR		f. Have you passed 10th exam as a student of Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya* ☐ Yes ☐ No	

चतुर्थ चरण –अपने पत्राचार का पता एवं आरक्षण का ब्योरा सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) में भरें।

7.	Personal Details आवेदक की विवरणी	Gender * लिंग *	Mother Tongue * मातृभाषा *	Nationality * नागरिकता *	Religion (Optional) धर्म (भरना अनिवार्य नहीं है।)	Blood Group (Optional) रक्त समूह/भरना अनिवार्य नहीं है।)
		MALE	HINDI	INDIAN	-SELECT-	-SELECT-

Address for Correspondence / पत्राचार का पता					
8. मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी दर्ज करने से पहले आवेदक ये सुनिश्चित करतें, की उनके द्वारा दर्ज किया जा रहा मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी दोनों ही यूनिक (पहले से किसी दूसरे OAF में दर्ज न हों) एवं आवेदक द्वारा ही वर्तमान में इस्तेमाल किया जा रहा हो। क्योंकि भविष्य में नामांकन सम्बंधित सारी सूचनाएँ आवेदक को उनके द्वारा दर्ज यूनिक मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी से ही जाएगी।					
a.	State/UT * राज्य / केन्द्र-शासित प्रदेश *	b.	District * जिला *	c.	Block / Municipality * प्रखंड / नगर परिषद् क्षेत्र *
d.	House No., Street/Village, Post Office, Police Station Name * अपनी मकान संख्या/सड़क का नाम/गाँव का नाम/पोस्ट ऑफिस एवम् पुलिस थाना अवश्य लिखें। Special characters key except Space, Hyphen, Slash and Comma are not allowed./ स्पेस, हाइफन, स्लैश और कॉमा की छड़कार विशेष वर्ग कुंजी की अनुमति नहीं है। *	e.	PIN Code * छह अंकों का पिन कोड यहाँ लिखें *		
f.	Mobile No.* मोबाइल नंबर *	g.	e-Mail * ईमेल *	h.	Telephone No.(Optional) अगर दूरभाष संख्या उपलब्ध हो तो यहाँ भरें। (भरना अनिवार्य नहीं है।)
Aadhaar No.* (If candidate has not enrolled in Aadhaar and doesn't have Aadhaar number then he/she is required to submit declaration in next col. that he/she has not been enrolled in Aadhaar and has not got Aadhaar number) If candidate has not given Aadhaar Number in above col., then declaration from candidate that he/she has not enrolled in Aadhaar and has not got any Aadhaar number, should be given - (Please note that any WRONG DECLARATION made here, may invite action against the candidate and his/her candidature may be cancelled due to making false declaration) ☐ I, hereby declare that I have not enrolled in Aadhaar and have not got any Aadhaar number. I also understand that any false declaration made by me may have consequence of cancellation of my candidature.					

9. Reservation Details आरक्षण की विवरणी				
• आरक्षण से सम्बंधित विवरण देने से पहले यह जाँच कर लें कि दो गोटे विवरणी सही है, अन्यथा गलत विवरणी देने के बाद अपना आवेदन रद्द किया जा सकता है साथ ही आपके उपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। • आरक्षित कोटि के अन्तर्गत प्रवेश लेने वाले आवेदक को प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अनुसूचिताधिकारी/जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र ही जमा करना है और यही प्रमाण-पत्र मान्य होगा। • दिव्यांग कोटा के अन्तर्गत पर नामांकन का दावा करने वाले आवेदक को अपने जिले के सिविल सर्जन/मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें नि:शकता का प्रमाणित उत्तरलिखित हो तथा सिविल सर्जन/मेडिकल बोर्ड द्वारा फोटो भी अधिप्रमाणित किया गया हो। 40 % से कम नि:शकता वाले आवेदक नि:शकता श्रेणी में आवेदन न करें। • कोटा के अन्तर्गत जो आवेदक आवेदन करना चाहते हैं उन्हें मूल आवेदन-पत्र के साथ कोटा आवेदन-पत्र भी अंतर्लपन भरना होगा एवं नामांकन के समय प्रमाण पत्र कौशल में जमा करना होगा।				
a.	General सामान्य वर्ग	Schedule Caste (SC) अनुसूचित जाति	Schedule Tribe (ST) अनुसूचित जनजाति	Backward Class(BC) अन्य पिछड़ा वर्ग
b.	Specially Abled (दिव्यांग) ☒ No/ नहीं ☐ Yes/ हैं		EWS (Economically Weaker Section) ☒ No/ नहीं ☐ Yes/ हैं	

Option(s)/Choice(s) Details			
Option Sl.No	College	Stream	Delete
FIRST	G.M.+2 SCHOOL SAGARPUR,JEHANABAD	ARTS	✖
SECOND	+2 NABIN CHANDRA CHY. SMARAK H/S BALIA BELONE, KATHIHAR	SCIENCE	✖
THIRD	H/S RAKASIYA DAYALCHAK,JEHANABAD	ARTS	✖
FOURTH	+2 A.L. H/S SONALI KATHIHAR	SCIENCE	✖

पाचवाँ चरण –सभी विवरणी को भरने के पश्चात संस्थान में नामांकन हेतु अपनी प्राथमिकता/विकल्प भरें। आप न्यूनतम 10 विकल्प और अधिकतम 20 विकल्प चुन सकते हैं।

10. Please Fill the Option of the Colleges & Stream in Which You Want to Get Admission.

जिस कॉलेज एवं संकाय में आप नामांकन लेना चाहते हैं, उन विकल्पों का चयन यहाँ भरें।

आप ऑनलाइन आवेदन एवं के माध्यम से बीए विभाग शिक्षण विभाग कॉलेज में आवेदन दे सकते हैं। अपने विकल्पों का चुनाव अपनी योग्यता सूची के अनुसार करें। (आवेदन में विकल्प भरते समय यह सुनिश्चित करें कि जो विकल्प आप पहले भरेंगे उसको के अनुसार अपना चयन किया जाएगा।) विकल्पों को भरते समय यह सुनिश्चित करें कि आपको प्राथमिकता सूची आपके पसंद के अनुसार है। आपके द्वारा भरी गयी कॉलेजों की प्राथमिकता सूची में ऊपर से नीचे के क्रम में आपको मेधा (श्रेणी) एवं आरक्षण श्रेणी के अनुसार जो सबसे पहले सफल विकल्प जिसमें अपना चुनाव होगा, उस कॉलेज को नामांकन सूची में अपना नाम आएगा।

You are required to select at least 10 and at most 20 options / आप न्यूनतम 10 विकल्प एवम् अधिकतम 20 विकल्प यहाँ भर सकते हैं। विकल्पों का चुनाव करते समय इंटर स्कूल या इंटर महाविद्यालयों की सूची आपके द्वारा चुनी गयी (स्त्री/पुरुष/अन्य) एवं आरक्षण कोटि (सामान्य/सामान्य कमजोर वर्ग/अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) के अनुसार ही दर्शाया जाएगा। आप आपसे भूतकथ गता गति (स्त्री/पुरुष/अन्य) या आरक्षण कोटि (सामान्य/सामान्य कमजोर वर्ग/अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) का चुनाव हो गया है, और इंटर स्कूल/ इंटर महाविद्यालय का चुनाव भी कर चुके हैं, तो तुलना करने हेतु, सबसे पहले आपको चुने गए विकल्पों को हटाना (delete) होगा, तदुपरांत आप अपने चुने प्रीक्षा बोर्ड, प्रीक्षा का वर्ष, प्रीक्षा का प्रकार, जन्म तिथि, रोल नंबर, गति (स्त्री/पुरुष/अन्य) और आरक्षण कोटि (सामान्य/सामान्य कमजोर वर्ग/अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) में बदलाव कर सकते हैं।

प्रथम मेधा सूची निकलने के उपरांत चुने गए विकल्पों में किसी भी तरह का बदलाव संभव नहीं होगा, इसलिए आवेदन अंकी तरह से तालम सुदृढ़ कर विकल्पों का चयन करें, ताकि भविष्य में विकल्पों में बदलाव की आवश्यकता न पड़े। आवेदकों को ये स्ताह दी जाती है की, प्राथमिकता वाले विकल्पों को चुनने पहले तो OFSS Portal (www.ofssbihar.net) पर "Cut-off" मेनु के अन्तर "Intermediate 2024 cut-off" लिंक पे लिंक कर 2024 में OFSS द्वारा प्रकाशित सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के संकायों का Cut-off प्रसिद्ध देखें वे जिससे की आपको परीक्षा विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को चुनने में आसानी हो।

Enter here for 1st Option / अपना पहला विकल्प चुनें

District Name *		-SELECT-	
a. जिस जिले के कॉलेज में दाखिल लेना चाहते हैं उसका चुनाव करें।		*	
b. College Name* / कॉलेज का नाम चुनें *		-SELECT-	
c. Stream* / संकाय चुनें *		-SELECT-	

Do you Want to fill more options for applying in Other colleges and Subjects? क्या आप अन्य कॉलेजों में और विभाग भरना चाहते हैं? ● Yes /● No नहीं

- मैं एक स्यापित कता काली हूँ कि उपरोक्त भावी भावी सभी सुनाने नहीं हैं। वह उपर भावी भावी सुनने के गता पाए जाने पर मेरा अवेदन प्र अस्वीकृत किया जा सकता है। इसके लिए मेरा कोई भी दाय्य मान्य नहीं होगा।
- मैं एक स्यापित कता काली हूँ कि अवेदन की राशि मेरा मानने के पक्षत भी मेरा अवेदन स्यापित किया जागा। निम्न अवेदन शर्तों के मेरा अवेदन अस्वीकृत क दिया जागा। प्र उसके लिए मेरा कोई भी दाय्य मान्य नहीं होगा।

आवेदन शुल्क 350 रूपय जमा करने हेतु यहाँ क्लिक करें। | Please click here to deposit the application fee of Rs. 350.



Intermediate

All the Fields marked as red Colour (*) are Mandatory to be filled, otherwise your Online form will not be submitted.

1. Name of the Board from which you have passed the 10th Exam ? Please fill the Year of Exam and Roll Number as in Admit Card / अपने किस पब्लिक स्कूल में दहावी परीक्षा उत्तीर्ण की है? यदि एडमिट कार्ड के अनुसार प्रवेश वर्ष एवं रोल नंबर भरें।

Name of the Examination Board * विद्यालय परीक्षा बोर्ड का नाम *	Year of Passing * अपने किस साल परीक्षा उत्तीर्ण की? *	Exam Type * अपने किस सी परीक्षा पास की है? *
1- BSEB, Bihar	2025	Annual
Date of Birth * / जन्म तिथि *	Roll Code * / रोल कोड *	Roll Number * / रोल नंबर *
02-01-2012	39344	4444534

अगर आप BSEB या BSEH में पास हुए हैं और अनुभव प्राप्त किया कि परीक्षा उत्तीर्ण की तारीख या परीक्षा का प्रकार या अन्य विषय पर दोहराव हो रहा है, तो हम आपको सूचित करते हैं कि आपकी जानकारी सही है। अगर ऐसा नहीं है, तो आप अपनी जानकारी सही करने के लिए हमसे संपर्क करेंगे।
 (delete) कृपया ध्यान दें: आपने जो भी जानकारी दी है, उसे हमारे द्वारा उपयोग किया जाएगा। यदि आपकी जानकारी गलत होती है, तो हम इसे सही करने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाएंगे।

2. Applicants Name *
उम्मीदवार का नाम *

3. Father's Name *
आपके पिता का नाम *

4. Mother's Name *
आपके माता का नाम *

Upload your photo *

Choose File | a-you@fifa.fr - vector.jpg
(JPG, JPEG, PNG files only)

5. Details of Marks/Grade Secured in 10th Board Examination / बॉर्डर परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों/ग्रेड्स

Note: छात्रों को अपने अंकों/ग्रेड्स के साथ ही अपना फुल नाम/ग्रैजुएट अंक और कुल अंक/ग्रैजुएट अंक भरना चाहिए।
 Note: In the below field you need to enter CGPA Points, if you select CBSE & Year between 2010 to 2017 as Year of Passing
 अगर आप आइएन से परीक्षा बोर्ड - CBSE परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष 2010 से 2017 के बीच चुनते हैं तो आपको आपके CGPA दर्शाएं।

Total Full Marks कुल अधिकतम अंक - कुल पूर्ण अंक	Total Marks Obtained कुल पूर्ण अंक - कुल प्राप्ति
500	456

**6. Record of educational institution last attended from which you have passed 10th Examination
आपने जिस स्कूल से दहावी की परीक्षा उत्तीर्ण की है उसका विवरण नीचे भरें:**

Name of the School * विद्यालय का नाम *	DEV PUBLIC SCHOOL	Address of the School * विद्यालय का पता *	PVT LTD
District * ज़िला जिसे मैं अपना विद्यालय कहूंगा *	ARARRA	Year of Joining * आपने किस साल इस विद्यालय में शामिल हुए थे?	2024
Year of Leaving from School * आपने किस साल इस विद्यालय छोड़ा? *	2025	Have you passed 10th exam as a student of Kamatha Ganga Balika Vidyalaya? क्या आपने दहावी की परीक्षा कामथा गंगा बालिका विद्यालय में पूरी की थी?	☐ Yes ☒ No

**7. Personal Details
आपकी जी विवरणी**

Gender * लिंग *	Mother Tongue * मातृभाषा *	Nationality * राष्ट्रियता *	Religion (Optional) धर्म (वैकल्पिक) *	Blood Group (Optional) रक्त समूह (वैकल्पिक) *
FEMALE	HINDI	INDIAN	-SELECT-	-SELECT-

8. Address for Correspondence / पता
संबंधित पता: यह ईमेल आईडी दर्ज करने में सबसे अधिक उपयोगिता होगी।
 Note: छात्रों को अपने पते पर निवास करने वाले व्यक्ति के नाम पर पता देना चाहिए।
 Note: छात्रों को अपने पते पर निवास करने वाले व्यक्ति के नाम पर पता देना चाहिए।

a. State/UT * राज्य/भारतीय संघ *	b. District * ज़िला *	c. Block / Municipality * प्रखंड / नगर परिषद क्षेत्र *
1- Bihar	ARARRA	BHARGAMMA

d. House No./ Street/Village Post Office Police Station Name *
आपका घर का नंबर/स्ट्रीट/ग्राम पोस्ट ऑफिस पुलिस स्टेशन का नाम *

e. PIN Code *
पोस्ट ऑफिस का पिन कोड दर्ज करें *

f. Mobile No.
मोबाइल नंबर *

g. e-Mail *
ईमेल *

h. Telephone No. (Optional)
फोन नंबर (वैकल्पिक) *

i. STD Code - Phone No.

Aadhar No. *

(If candidate has not enrolled in Aadhaar and doesn't have Aadhaar number then he/she is required to submit declaration in next col that he/she has not been enrolled in Aadhaar and has not got Aadhaar number)
 If candidate has not given Aadhaar Number in above col., then declaration from candidate that he/she has not enrolled in Aadhaar and has not got any Aadhaar number should be given -
 (Please ensure that any WRONG DECLARATION made here, may invite action against the candidate and his/her candidature may be cancelled due to making false declaration.)
☒ I hereby declare that I have not enrolled in Aadhaar and have not got any Aadhaar number. I also understand that any false declaration made by me may have consequence of cancellation of my candidature.

**9. Reservation Details
आपकी रिज़र्वेशन**

आपका क्या विशेषता है जो आपको सरकारी सेवा में जाने का अधिकार देती है? यदि हाँ, तो आपकी विशेषता क्या है? अन्यथा नहीं।
 यदि हाँ, तो आपकी विशेषता क्या है? अन्यथा नहीं।
 यदि हाँ, तो आपकी विशेषता क्या है? अन्यथा नहीं।

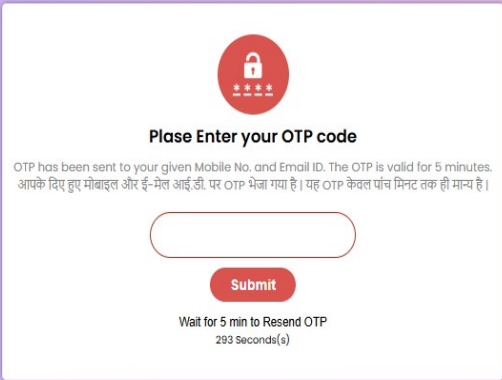
10. Special Ability / विशेषता
☒ No ☐ Yes

EWS (Economically Weaker Section) ☒ No ☐ Yes

Option(s)/Choice(s) Details

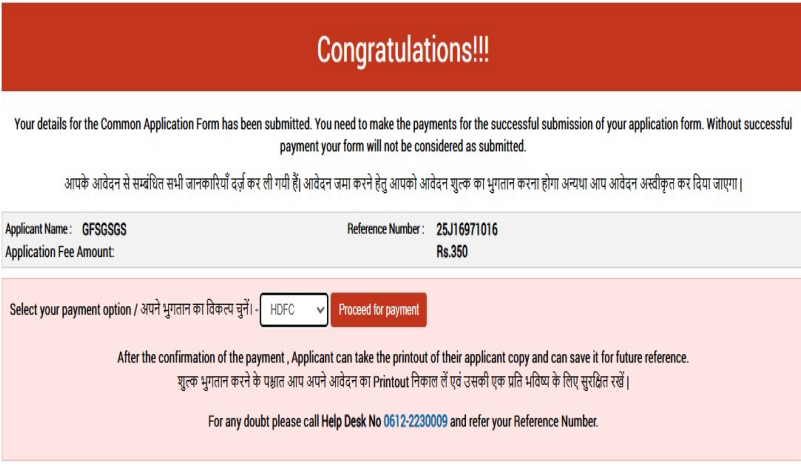
Option S.No	Schedule Class (SC) अनुसूचित जाति	Schedule Tribe (ST) अनुसूचित जनजाति	Backward Class (BC) अर्थशून्य वर्ग	Extremely Backward Class (EBC) अत्यंत पिछड़ा वर्ग
FIRST	P.D.S.K COLLEGE, SAHANANDPUR, BEGUSARAI		SCIENCE	X
SECOND	S.B.M.P.-2 V MANDIL, JEHANABAD		ARTS	X
THIRD	S.M. INTER COLLEGE BELA SIMRI KHAGARIA		ARTS	X
FOURTH	RAJDEEP YADAV S.S. PIRNAGARA BELDUA, KHAGARIA		ARTS	X
FIFTH	PROJECT KANTHS HIS KUMHARI KATHAR		SCIENCE	X

सातवाँ चरण —आपके निबन्धित मोबाइल नम्बर पर One Time Password (OTP) प्राप्त होगा। One Time Password (OTP) भरने के पश्चात Submit बटन क्लिक करें।



The image shows a white rectangular form centered on a purple-to-pink gradient background. At the top center is a red circular icon with a white padlock and four dots below it. Below the icon, the text "Plase Enter your OTP code" is displayed. Underneath, a line of small text explains that the OTP has been sent to the user's mobile number and email ID, is valid for 5 minutes, and is in Hindi. Below this is a large, empty, rounded rectangular input field. At the bottom center is a red "Submit" button. Below the button, it says "Wait for 5 min to Resend OTP" and "293 Seconds(s)".

आठवाँ चरण —मोबाइल नम्बर सुनिश्चित करने के पश्चात आपको Payment पेज पर भुगतान के लिये Re direct किया जायेगा। भुगतान करने के विधि को चुन लें जैसे – Payment Gateway (Net Banking, Debit Card & Debit Card) इत्यादि।



The image shows a payment confirmation page with a red header bar containing the text "Congratulations!!!". Below the header, a message states that the user's details for the Common Application Form have been submitted and that payment is required for successful submission. This is followed by the same message in Hindi. A table below provides the applicant's name (GFSGSGS), reference number (25J16971016), and application fee amount (Rs.350). Below the table, there is a section for selecting a payment option, with "HDFC" selected and a "Proceed for payment" button. Further down, instructions are given in English and Hindi about taking a printout of the application copy after payment confirmation. At the bottom, a help desk number (0612-2230009) is provided for any doubts, along with a reminder to refer to the reference number.

नौवां चरण —भुगतान की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात आपको Transaction ID प्राप्त होगा और आपके द्वारा भरे गये आवेदन प्रपत्र की प्रति को प्रिंट करने का विकल्प प्राप्त होगा।

The image displays a payment gateway interface for the Bihar School Examination Board. On the left, a blue sidebar contains the following information:

- BIHAR SCHOOL EXAMINATION BOARD**
- Order ID**: 61E4B1193A925J16971003
- Merchant**: BIHAR SCHOOL EXAMINATION BOARD O...
- Order Amount**: ₹ 350.00

Below the sidebar, it states "Powered by" with logos for **CCAvenue** and **HDFC BANK**.

On the right, a white modal titled "CHOOSE A PAYMENT OPTION" is displayed. It contains two options:

- Card** (with a card icon and a right arrow)
- Netbanking** (with a bank icon and a right arrow)

A "Cancel" link is located at the bottom of the modal.

At the very bottom of the interface, there is a row of logos for various payment methods and services: MasterCard SecureCode, Verified by VISA, RuPay, ProtectBuy, RuPay, and a QR code icon.

8. आरक्षण एवं कोटा

बिहार सरकार की अधिसूचना के अनुसार इंटरस्तरीय शिक्षण संस्थानों में आरक्षण निम्नवत् रहेगा :-

	Category	Reservation (%)
1.	अनुसूचित जाति (SC)	16%
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01%
3.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC)	18%
4.	पिछड़ा वर्ग (BC)	12%
5.	पिछड़ा वर्ग की महिला	03%
6.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) (ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े वर्ग के लिए किये गए आरक्षण प्रावधानों से आच्छादित नहीं हैं।)	10%

उक्त के अतिरिक्त दिव्यांग कोटे की 05% सीट सम्बन्धित वर्ग में आरक्षित रहेगी।

9. महत्वपूर्ण टिप्पणी

9.1 (क) अगर कोई आवेदक किसी एक संस्थान में नामांकन लेने के पश्चात् ऐसे किसी संस्थान में स्थानान्तरण के तहत नामांकन लेना चाहता है तो स्थानान्तरित संस्थान में उसी कोटि में नामांकन होगा जिस कोटि का आवेदक होगा। स्थानान्तरित संस्थान में उस कोटि का स्थान रिक्त रहने पर ही वहाँ वह नामांकन ले सकेगा।

(ख) एक से ज्यादा आवेदन देने वाले आवेदक का सिर्फ एक ही आवेदन स्वीकृत किया जायेगा। अन्य आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(ग) सिर्फ कम्प्यूटर से जारी ऑनलाइन सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) स्वीकार किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में टंकित या छपा हुआ सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(घ) निबंधित डाक अथवा अन्य माध्यम से भेजे गये कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(ङ.) विद्यार्थी को SMS/E-mail के माध्यम से उनके नामांकन अद्यतन/नामांकन निरस्त/नामांकन रद्द की सूचना दी जायेगी लेकिन यह विद्यार्थी की भी जिम्मेदारी होगी कि अपने नामांकन की स्थिति स्वयं संस्थान से प्राप्त कर लें।

10. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Ask Questions)

(क) प्रश्न—किन तरीकों से मैं सामान्य आवेदन पत्र (Common Application Form) भर सकता हूँ?

उत्तर— आवेदक केवल ऑनलाइन विधि से वेबसाईट <https://ofssbihar.net> के माध्यम से सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) भर सकते हैं। वे साइबर कैफे/जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र जाकर आवेदन कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में Offline विधि से सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) नहीं भरा जाना है।

(ख) प्रश्न—कहां से मैं सामान्य आवेदन पत्र भर सकता हूँ?

उत्तर— आप निम्नलिखित जगहों से सामान्य आवेदन पत्र (Common Application Form) भर सकते हैं—

- आप अपने घर के कम्प्यूटर से भी आवेदन भर सकते हैं।
- आप किसी साइबर कैफे के माध्यम से भी आवेदन भर सकते हैं।
- आप जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र (DRCC) जाकर भी आवेदन भर सकते हैं। प्रत्येक जिले में एक जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र (DRCC) है।
- आप किसी वसुधा केंद्र के माध्यम से भी आवेदन भर सकते हैं।

(ग) प्रश्न—सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) भरने के लिए प्रमुख आवश्यकताएं क्या हैं?

उत्तर — जहाँ से आपने दसवीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण की है यह उस पर निर्भर करता है।

- बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मामले में — यदि आपने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण की है तो नीचे लिखे मूल सूचनाओं की जानकारी भरें—
- उत्तीर्ण होने का वर्ष
- रोल कोड
- रोल नम्बर
- जन्म तिथि
- बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अलावा अन्य मामले में — यदि आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अलावा अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण हुए हैं तो आपको सभी सम्बन्धित सूचनाएँ देनी होंगी।

(घ) प्रश्न—सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) भरने के लिए मुझे वैध मोबाइल नंबर और ई-मेल पता क्यों रखना होगा?

उत्तर — ऑनलाइन सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) भरने के दौरान, आपको वैध और मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी का उपयोग करना होगा। फिर हमारी स्वचालित प्रणाली आपके पंजीकृत ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर प्रवेश प्रक्रियाओं के बारे में सूचनाएँ भेजेगी।

(ङ) प्रश्न— मैं एक से अधिक संस्थान के लिए सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) कैसे भर सकता हूँ?

उत्तर — Online Facilitation System for Students (OFSS) के माध्यम से, आप न्यूनतम 10 संस्थान और अधिकतम 20 संस्थान का चयन कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप एक ही आवेदन में प्राथमिकता के आधार पर नामांकन के लिये 20 संस्थानों का नाम दे सकते हैं।

(च) प्रश्न— एक संस्थान का चयन करने के लिए शुल्क और एक से अधिक संस्थान चुनने के मामले में क्या शुल्क है ?

उत्तर— Online Facilitation System for Students (OFSS) के माध्यम से नामांकन के लिये आवेदन देने हेतु आपको सिर्फ़ ₹0 350/- का भुगतान करना होगा। इस शुल्क से ज्यादा आपको और किसी अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं करना है। यह शुल्क एक संस्थान के चयन के मामले में या 20 संस्थानों के चयन के मामलों में समान है। जब आप एक से अधिक संस्थान या 20 संस्थानों का चयन करेंगे, तो आपको ₹0 350/- के अतिरिक्त किसी अन्य शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

(छ) प्रश्न—विभिन्न संकायों/कोर्स के लिए 20 संस्थानों के लिए मैं सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) कैसे भर सकता हूँ ?

उत्तर— Online Facilitation System for Students (OFSS) पद्धति में सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) भरने के लिए 20 संस्थानों को चुनने का विकल्प आपके पास है। ये सभी विकल्प 20 संस्थानों में 20 विषयों में हो सकता है।

(ज) प्रश्न—मान लीजिए, मैंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति वेबसाइट पर डाले गये सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) में 20 विकल्पों को दिया है और मुझे अपने 11 वें नंबर के चुने हुए विकल्प में मौका मिला है। लेकिन मैं सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) भरने के समय मेरे द्वारा भरे गए शीर्ष 3 विकल्प में अपना नाम प्राप्त करने के लिए तीसरी मेरिट सूची तक इंतजार करना चाहता हूँ। तो, क्या मुझे मेरे द्वारा चुने गए 11वें रैंक विकल्प में प्रवेश किए बिना तीसरी मेरिट सूची तक इंतजार करना चाहिए?

उत्तर— नहीं, आपको अपने 11वें विकल्प वाले संस्थान में प्रवेश लेना ही होगा। इसके बाद दूसरी या तीसरी मेरिट लिस्ट की प्रतिक्षा कर सकते हैं। यह प्रक्रिया स्वचालित रूप से कार्य करेगी और आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको स्लाइड अप विकल्प को चुनना होगा। स्लाइड अप विकल्प उसी स्थिति में आयेगा, जब आपने किसी संस्थान में नामांकन ले लिया है।

(झ) प्रश्न—बेहतर मनपसंद संस्थान में Online Facilitation System की प्रक्रिया के तहत मैं नामांकन कैसे ले सकता हूँ?

उत्तर— हमारी ऑनलाइन सुविधा प्रणाली के माध्यम से संस्थान में नामांकन के क्रम में तीन स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं—

1) **स्थिति एक** — मान लीजिए आपने 20 विकल्प चुना है और पहली मेरिट सूची के अनुसार आपको 11वें विकल्प वाले संस्थान में नामांकन कराने की सूचना मिली है तो क्या आपको अपने चुने हुए 1 से 10 तक के संस्थानों के विकल्प में नामांकन की सुविधा मिलेगी।

उत्तर—हाँ, आपके सर्वोत्तम पसंदीदा संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने की संभावना है। अगर आपका नामांकन पहले मेरिट लिस्ट के अनुसार हो जाता है, तो आप दूसरे और तीसरे मेरिट लिस्ट के प्रकाशन की प्रतीक्षा करें। यदि दूसरे और तीसरे मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो फिर योग्यता सूची के अनुसार प्रवेश मिलेगा और दूसरी और तीसरी योग्यता सूची घोषणा के लिए प्रतीक्षा करें, यदि दूसरी और तीसरी योग्यता सूची में आपका नाम घोषित किया जाता है, फिर स्वचालित रूप से आपको बिना किसी अतिरिक्त प्रयास किए या किसी भी अन्य शुल्क का भुगतान किए बिना अपने सर्वश्रेष्ठ पसंदीदा संस्थान में प्रवेश मिलेगा।

नोट—आपके द्वारा चुने हुए वरीयता क्रम के अनुसार एक संस्थान से दूसरे संस्थान में दूसरे या तीसरे मेरिट लिस्ट के अनुसार नामांकन लेने की सुविधा होगी। इस प्रक्रिया को ऑटो स्लाइडर कहा जाता है। स्लाइड-अप सुविधा को सक्रिय करने के लिए यह आवश्यक होगा कि आप उस संस्थान में नामांकन अवश्य ले लें, जहाँ नामांकन के लिए पहले चरण के नामांकन में आपका नाम आया है।

2) **स्थिति दो**— मैंने कुल 10 विकल्प चुने हैं, लेकिन मेरा नाम किसी भी संस्थान में घोषित नहीं किया गया है। क्या मैं किसी भी संस्थान में प्रवेश नहीं ले पाऊंगा?

उत्तर— यदि आपका नाम किसी भी चुने हुए संस्थान में घोषित नहीं किया गया है, तो आपको तब तक इंतजार करना होगा जब तक तीसरी चयन सूची के आधार पर नामांकन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है। अगर किसी संस्थान में तीसरी योग्यता सूची जारी करने के बाद कुछ सीट खाली हैं, तो आपके चुने हुए संस्थान और Cut Off Marks के अनुसार, यहां आपके लिए एक मौका होगा। तीसरी और

अंतिम चयन सूची के आधार पर नामांकन के पश्चात् रिक्त सीटों के लिए Spot Admission की प्रक्रिया की जायेगी। यदि तीसरे मेरिट सूची की घोषणा के बाद कोई रिक्त सीट उपलब्ध नहीं है, तो किसी भी चुने हुए संस्थान में प्रवेश लेने के लिए आपके लिए कोई संभावना नहीं है।

- 3) **स्थिति तीन**— मान लीजिए, मैंने अपने 20 विकल्प के साथ सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) भर दिया है, लेकिन कुछ दिन बाद, मुझे एहसास हुआ कि मेरा चयन गलत था या मैं अपने 20 चयनों से संतुष्ट नहीं हूँ, मैं फिर से कैसे चुन सकता हूँ 20 विकल्प या मैं अपने चयन में बदलाव कैसे कर सकता हूँ?

उत्तर — सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) भरने की अपनी अंतिम तिथि तक जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन में आप संशोधन कर सकते हैं। इस अंतिम तिथि के बाद आप कोई भी परिवर्तन करने में सक्षम नहीं होंगे।

- (ज) **प्रश्न**—चयनित संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने के लिए मेरा नाम सिस्टम द्वारा सूचित किया जाता है, इसके लिए प्रक्रिया क्या है?

उत्तर— यदि आपका नाम पहली मेरिट सूची में चुना गया है, तो आप आवंटित संस्थान में जा सकते हैं और प्रवेश ले सकते हैं और सभी आवश्यक दस्तावेज और तस्वीरें जमा कर सकते हैं।

नोट — सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) और दस्तावेजों की आवश्यकताओं पर अधिक पूछताछ के लिए सीधे चयनित संस्थान में जा सकते हैं।

- (त)**प्रश्न**— मैंने सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) भर दिया है और अपने ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से शुल्क भी चुकाया है, लेकिन फिर भी मुझे अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर ई-मेल या एसएमएस से कोई सूचना नहीं मिली है। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना होगा ?

उत्तर —नामांकन की सूचना प्राप्त करने के लिए आपको सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) भरने के दौरान मौजूदा उपयोग वाला मोबाइल नंबर और ई-मेल पता देना होगा। कभी-कभी ई-मेल आपके द्वारा पंजीकृत ई-मेल आईडी के SPAM बॉक्स में जाता है, इसलिए एक बार अपना SPAM फोल्डर भी देखें। सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) के जमा होने और अंतिम तिथि की समाप्ति के बाद भरे हुए जानकारी को बदलने के लिए आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। इसलिए सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) भरने के दौरान पूरी सावधानी बरतें।

- (थ) **प्रश्न**—एक ही मोबाइल नंबर या एक ही ई-मेल आईडी के माध्यम से कितने सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) को भरा जा सकता है और क्या दोनों समान हैं?

उत्तर— सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) भरने के लिए आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे यूनिक Unique और वैध मोबाइल नम्बर के साथ आवेदन करें।

- एक मोबाइल नंबर/एक E-mail Id से मात्र एक आवेदन प्रपत्र भरा जा सकता है।
-

- (द) **प्रश्न**—मेरे पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन नेट बैंकिंग सुविधायें नहीं है तो, मैं भुगतान कैसे करूँगा ?

उत्तर — भुगतान के लिए आपके पास तीन विकल्प है—

- 1) ई-चालान सुविधा (मैनुअल विकल्प) का उपयोग करना—आवेदन भरने के बाद आप भुगतान विकल्प (Payment Option) पर जायें। वहाँ आपको ई-चालान विकल्प मिलेगा। इसके उपरांत आपको ई-चालान डाउनलोड करना होगा और इसे निर्धारित बैंक में जमा करना होगा।
- 2) यदि आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या कोई अन्य नेट बैंकिंग सुविधा की कोई सुविधा नहीं है, तो आप अपने माता-पिता, दोस्तों या किसी ज्ञात सेवा प्रदाता से सहायता ले सकते हैं। वे अपना डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग द्वारा भुगतान अपनी ओर से करेंगे।
- 3) वसुधा केन्द्र के माध्यम से आवेदन पत्र भरने के लिए आप वसुधा केन्द्र पर जा सकते हैं और वहाँ नगद भुगतान कर सकते हैं।

(ध) प्रश्न—क्या मुझे अपने दस्तावेजों की किसी भी हार्ड कॉपी को संस्थान या किसी कार्यालय में जमा करने की जरूरत है?

उत्तर — ऑनलाईन सुविधा प्रणाली पूरी तरह से ऑनलाईन प्रणाली है और आपको किसी भी दस्तावेज को किसी भी स्थान पर जमा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप भविष्य के लिए अपने जमा किए गए आवेदन की प्रिंट आउट प्रतिलिपि रख सकते हैं। आपको केवल चयनित संस्थान में नामांकन के समय हार्ड कॉपी की आवश्यकता होगी।

----- * -----